आई० टी० मैनेजर.

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का०आ०सं०– निग/सारा–(लघु जल)–आरोप–03/21– पटना, दिनांक 20/02/2026

कार्यालय आदेश - 59

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4575 दिनांक 07.12.2020 द्वारा अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अचंल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1890 दिनांक 12.11.2020 अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए विभाग को सूचित किया गया कि श्री राधेश्याम प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता (यांत्रिक), लघु सिंचाई अनुमंडल, गायघाट को वाहन दुर्घटना के सिलसिले में उनके विरूद्ध बेला थाना कांड संख्या–38/20 दिनांक 04.11.2020 दर्ज कराया गया है एवं उन्हें बेला थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस हेतु श्री सिंह को नियमानुसार निलंबित करने की अनुशंसा की गई।

2. श्री राधेश्याम प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता (यांत्रिक), लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपने आवेदन दिनांक 05.01.2021 के द्वारा यह सूचित किया है कि वे उक्त थाना कांड में दिनांक 05.11.2020 से दिनांक 11.11.2020 तक काराधीन रहे तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी मुजफ्फरपुर (पूर्वी) द्वारा उन्हें दिनांक 10.11.2020 को पारित आदेश द्वारा स्वीकृत किए गए Bail की प्रति संलग्न करते हुए यह भी सूचित किया है कि कारा से मुक्त होने के पश्चात् उन्होंने दिनांक 18.11.2020 को कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में अपना योगदान समर्पित किया है।

3. अतएव सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–13 सहपठित ज्ञापांक–270 (ई०) दिनांक 14.01.2021 के द्वारा श्री राधेश्याम प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता (यांत्रिक), लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (2) (क) एवं 9 (3) (i) में निहित प्रावधान के आलोक में उनके कारानिरोध की तिथि 05.11.2020 से कारामुक्त होने के उपरांत कार्यालय में योगदान किए जाने की तिथि 18.11.2020 के ठीक पूर्व अर्थात् (दिनांक 05.11.2020 से 17.11.2020 तक) की अवधि के लिए निलंबित किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि निलंबन अवधि का विनियमन श्री सिंह के विरूद्ध दर्ज थाना कांड के फलाफल के आधार पर किया जायेगा।

4. श्री सिंह ने अपने आवेदन दिनांक 13.01.2026 के द्वारा यह सूचित किया है कि उनके विरूद्ध दर्ज बेला थाना कांड संख्या–38/2020 में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) द्वारा दिनांक 02.01.2026 को पारित न्यायादेश में उन्हे निर्दोष घोषित कर दोषमुक्त कर दिया गया है। न्यायादेश की सत्यापित प्रति भी संलग्न की गयी। इनके द्वारा निलंबन अवधि दिनांक–05.11.2020 से 17.11.2020 तक का विनियमन करने का अनुरोध किया गया।

कृ०पृ०उ०

5. मामले की विभागीय समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि चूंकि श्री राधेश्याम प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता (यांत्रिक), लघु सिंचाई प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को इनके विरूद्ध दर्ज बेला थाना कांड संख्या–38/2020 में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित करते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में सम्यक विचारोपरांत श्री सिंह के निलंबन अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

(i) दिनांक–05.11.2020 से 17.11.2020 तक निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन एवं भत्ते सहित प्रत्येक प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

(ii) निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन एवं भत्ते के भुगतान के कम में निलंबन अवधि में भुगतान किये जा चुके जीवन निर्वाह भत्ता की राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–निग/सारा–(लघु जल)–आरोप–03/21– पटना,दिनांक.................

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०प० उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहित/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल सहित/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्र०को०)/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3/6/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ **श्री राधेश्याम प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल, गायघाट, मुजफ्फरपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–निग/सारा– (लघु जल)–आरोप–03/21– 1346(E) पटना,दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

18.02.26